

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 71 / 2019

दायर दिनांक 11.06.2019

| | | |
|----------|------|-------------|
| उनवान | | |
| लादु लाल | बनाम | कैलाशचन्द्र |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 06.09.2021

—:निर्णय:—

वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया की उक्त आराजियात 418 का वाद पत्र 230/2015 न्यायालय में विचाराधीन है। जो पैमाइश विभाग द्वारा नक्शे में गलत अंकन कर देने से विचाराधीन है। अतः मूल वाद के निर्णय से पूर्व पत्थरगढी किये जाने से अनावश्यक विवाद बढेगा। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। मूल वाद 230/2015 के निर्णय होने तक पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो | आदेश सुनाया गया |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

